भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1028

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जल शक्ति केंद्रों की स्थापना

1028. श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

श्री राजीव रायः

श्री जी. सेल्वमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए हैं और यदि हां, तो पंजाब और तमिलनाडु के संदर्भ में जिला-वार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और अब तक पंजाब में जेएसके स्थापित करने के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब के सभी जिलों में चल रहे जेएसके कब तक पूर्ण/संचालन के लिए तैयार होने की संभावना है;

(ग) तमिलनाडु के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए इन जेएसके द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन जेएसके के संचालन, क्षमता निर्माण और रखरखाव के लिए समर्पित धन आवंटित करने का प्रस्ताव है ताकि उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तमिलनाडु में जागरूकता फैलाने और स्थानीय जल प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने में जेएसके की प्रभावशीलता क्या है; और

(च) क्या सरकार का तमिलनाडु के जलवायु-संवेदनशील और सूखा-प्रवण जिलों में जेएसके का विस्तार करने या इसे सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (च): 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, जल संरक्षण सहित इससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और

प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय से जल शक्ति केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए राज्यों को अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है। जल शक्ति केन्द्रों (जेएसके) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में संलग्न है।

पंजाब की राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब के सभी 23 जिलों में जल शक्ति केन्द्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं और सभी जेएसके पूरी तरह से संचालन योग्य और कार्यात्मक हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में जल शक्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल शक्ति केंद्र (जेएसके) वर्षा जल संचयन के महत्व पर जागरूकता पैदा करता है और विभिन्न हितधारकों के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह वैज्ञानिक रूप से जल संरक्षण योजनाओं की तैयारी में जिला और ब्लॉक प्रशासन की सहायता करता है। जेएसके ज्ञान और डेटा साझाकरण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है जो जिले के स्थानिक विश्लेषण और जिले में जल निकायों से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भुवन, आईएमडी, जीएसआई और सीजीडब्ल्यूबी जैसे विभिन्न स्रोतों से स्थानिक डेटा एकत्र करता है। इसके अलावा, यह नदियों और नालों के पुनरूद्धार और पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान करता है। जेएसके हितधारकों के लिए जल प्रबंधन विधियों और तकनीकों पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि जेएसके के माध्यम से सभी जिलों, ब्लॉकों और पंचायतों में वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के महत्व, विधियों और तकनीकों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, इन कार्यक्रमों में रैलियाँ, नुक्कड़ बैठकों, स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी, ग्राम सभा बैठकें तथा ऑडियो प्रणाली एवं डिजिटल मीडिया के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया, जिसमें कुल 6,26,000 लोगों ने भाग लिया।

*****

अनुलग्नक

“जल शक्ति केंद्रों की स्थापना” के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 1028 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन		
राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय		
जल शक्ति केंद्र रिपोर्ट (जेएसए: सीटीआर पोर्टल के अनुसार)		
(दिनांक 23/01/2026: तक की स्थिति के अनुसार)		
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**जिले जहां जेएसके स्थापित हैं**
1	जम्मू और कश्मीर	20
2	हिमाचल प्रदेश	12
3	पंजाब	23
4	चंडीगढ़	1
5	उत्तराखंड	12
6	हरियाणा	22
7	दिल्ली	8
8	राजस्थान	41
9	उत्तर प्रदेश	75
10	बिहार	38
11	सिक्किम	6
12	अरुणाचल प्रदेश	8
13	नागालैंड	8
14	मणिपुर	13
15	मिजोरम	4
16	त्रिपुरा	8
17	मेघालय	9
18	असम	30
19	पश्चिम बंगाल	23
20	झारखंड	19
21	ओडिशा	30
22	छत्तीसगढ़	31
23	मध्य प्रदेश	50
24	गुजरात	33
25	महाराष्ट्र	35
26	आंध्र प्रदेश	26

27	कर्नाटक	31
28	गोवा	2
29	लक्षद्वीप	0
30	केरल	14
31	तमिलनाडु	38
32	पुडुचेरी	2
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
34	तेलंगाना	33
35	लद्दाख	2
36	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2
कुल		**712**

*****